कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 9021 /स्था/अराज/एमसी/2022 रीवा, दिनांक 18/1/22

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 15633/स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 23.07.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में सह–चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुसूचित जनजाति में आदिम जाति समुदाय के अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एफ भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2018 द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम– 1988 के नियम–4 (ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 फरवरी 2018 के अंतर्गत "4 ख के प्रावधानों एवं निर्देशों के परिपालन में दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक आयोजित मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नलिखित उपयुक्त पाये गये प्रतीक्षारत उम्मीदवार को प्रवीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए ओ.टी. अटेंडेन्ट के पद पर **सातवें वेतनमान 16100–50900 (लेवल–2)** में न्यूनतम वेतन रूपये 16100/– प्रति माह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अधीन पदस्थ किया जाता है :–

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी_संवर्ग
1.	मोती बैगा पिता श्री रघुनाथ बैगा	ग्राम बोडरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म.प्र., पिन–484110	एस.टी._बिना वर्ग_ओपन

नियुक्ति की शर्तें:–

1. आदेश जारी होने के दिनांक से **15 दिवस** के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर न्यूनतम वेतन रूपये 16100/– प्रति माह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

क्रमशः पेज–02

7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोडने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/–रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय–पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नही होगा।

<u>नोटः–</u> प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र....................../स्था/अराज/एमसी/2022, रीवा, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
7. संबधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रू. 4/– का ट्रेजरी चालान हेड़–0210–03–200–0000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)